

In the Court of:- राम अचल पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर जिला
शहडोल म.प्र.

Rct No-388 /22

Complaint/ report made on 12-10-22

Name and address of the complainant. शासन पुलिस बनाम लल्लू यादव

म०प्र०-----

Name, parentage, caste and address of accused

आरोपी:-लल्लू यादव पिता स्व० रामप्रसाद यादव उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड नं० 36,
पुलिस लाईन शहडोल, थाना-कोतवाली, जिला शहडोल म०प्र०

The offence complained of, and date of, its alleged commission

1— आपने दिनांक 02.03.2021 को 11:15 बजे स्थान बस स्टेण्ड जयसिंहनगर, थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल म०प्र० पर लोक मार्ग या उसके समीप बस क्र० एम०पी०-22 सी.ए. 4455 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन किया।

आपका उक्त कृत्य धारा 279 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान में है। अतः आप अपराध स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

सही /
(राम अचल पाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जयसिंहनगर जिला शहडोल(म०प्र०)

The plea of the accused and his examination (if any)-

मुझे अपराध स्वीकार है।

सही /
(राम अचल पाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जयसिंहनगर जिला शहडोल(म०प्र०)

The offence proved, if any, and in case under (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of Sub-section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

—:: निर्णय ::—

///आज दिनांक 12.10.22 को घोषित ///

1— अतः अभियुक्त को धारा 279 भा0द0सं0 के अपराध के लिए न्यायालय अवधि अवसान तक का कारावास एवं **1000/— रुपये के अर्थदण्ड से**, दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर पन्द्रह दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

2— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दगीनामा स्वामी के पक्ष में भारहीन समझा जाए। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया ।)

(मेरे बोलने पर टंकित किया गया)

सही/
(राम अचल पाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0प्र0)

सही/
(राम अचल पाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0